कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22492/प्रवेशोत्सव/2016–17/ दिनांक : 31.03.16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषय– माह अप्रेल 2016 में विद्यालय संचालन सम्बन्धी नवीन निर्देशों की क्रियान्विति बाबत।

प्रसंगः– शासन का पत्रांक–प.32(01)शिक्षा–1/2002 पार्ट–I, जयपुर, दिनांक 10.03.2016

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि समसंख्यक पत्र दिनांक 18.03.2016 द्वारा इस वर्ष कक्षा–8 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हुए समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात राजकीय विद्यालयों में अस्थाई प्रवेश देते हुए 01 अप्रेल से आगामी कक्षाओं में विधिवत कक्षा शिक्षण प्रारम्भ किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किए गए है।

विद्यालय परिक्षेत्र की गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी अस्थाई प्रवेश दिया जाकर विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षक–अभिभावक संघ एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक में विस्तृत विमर्श उपरान्त ठोस एवं व्यावहारिक कार्य योजना निर्मित करें।

नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु माह अप्रेल में आवश्यकतानुसार समय प्रबंधन करते हुए विद्यार्थियों की कक्षा एवं अधिगम स्तर के अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण (रेमेडियल टीचिंग) जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। शेष सत्र हेतु आपके क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों का संचालन शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

(बी०एल०स्वर्णकार)
आई०ए०एस०
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

2 समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी पर्यवेक्षण एवं समुचित प्रबोधन करने बाबत।

3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।

4 वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा" प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

5 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर